[2020] 4 एस.सी.आर. 687

अमायरा द्विवेदी (नाबालिग) अपनी माँ, श्रीमती पूजा शर्मा द्विवेदी के माध्यम से

बनाम

अभिनव द्विवेदी और एक अन्य

(2020 की सिविल अपील संख्या 2067)

06 मार्च, 2020

[दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति]

पारिवार कानून: बच्चे की अभिरक्षा - मुलाकात और संपर्क के अधिकार - तत्काल मामले में, अपीलार्थी-माँ ने अपने बच्चे की अभिरक्षा के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी - उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया, हालांकि माँ को महीने में एक बार पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत स्थान पर दो घंटे के लिए बच्चे से मिलने की अनुमति दी गई और ऐसे स्थान पर असहमति की स्थिति में, यह निर्देश दिया गया कि सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान एक दिन दो घंटे के लिए बैठक आयोजित की जाएगी और पार्टियों द्वारा सहमत समय या सचिव द्वारा निर्देशित समय के अनुसार किसी भी दिन महीने में एक बार अधिमानतः शनिवार को आयोजित की जाएगी - के विरुद्ध चुनौती - अभिनिर्धारित किया गया: जब कोई अदालत मिलने का अधिकार देती है, तो ये अधिकार इस तरह से दिए जाने चाहिए कि जिस बच्चे और माता-पिता को मिलने का अधिकार दिया गया है, वे ऐसे वातावरण में मिल सकें जहां वे माता-पिता और बच्चे की तरह हो सकते हैं और यह वातावरण निश्चित रूप से जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में नहीं पाया जा सकता है - यह वातावरण माता-पिता के घर में या किसी पार्क या रेस्तरां या किसी अन्य स्थान पर पाया जा सकता है जहां बच्चा और माता-पिता सहज हों - इसे देखते हुए, मिलने और संपर्क के अधिकारों के बारे में निर्देश पारित किए गए, जिसके तहत माँ को शनिवार और रविवार को बच्चे से मिलने और दादा-दादी से बच्चे को सुबह 10 बजे घर ले जाने और शाम 5 बजे उसे वापस छोड़ने की अनुमति दी गई - माँ को त्योहारों, छुट्टियों, बच्चे के जन्मदिन और स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बच्चे के साथ समय बिताने की भी अनुमति दी गई।

सिविल अपीलीय अधिकारिता; 2020 की सिविल अपील संख्या 2067

2018 के बंदी प्रत्यक्षीकरण संख्या 24675 में इलाहाबाद, लखनऊ पीठ, लखनऊ में उच्च न्यायालय के दिनांक 13.05.2019 के निर्णय और आदेश से।

विश्वजीत सिंह, पंकज सिंह, सुश्री रिद्धिमा सिंह, सुश्री विजया सिंह, विग्नेश सिंह, सुश्री वीरा कौल सिंह, शैल कुमार द्विवेदी, सिद्धार्थ कृष्ण द्विवेदी, सुश्री विभा द्विवेदी, सुश्री निधि द्विवेदी, आंदलीब नकवी, सुश्री गरिमा प्रसाद, अधिवक्तागण, उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ति:

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील 13 मई 2019 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ द्वारा 2018 के बंदी प्रत्यक्षीकरण संख्या 24675 में पारित एक आदेश से उत्पन्न होती है, जिसमें अपीलार्थी (माँ) द्वारा अपने बच्चे की अभिरक्षा के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था, लेकिन उसे निम्नलिखित शर्तों में मिलने का अधिकार दिया गया थाः

> "(I) याचिकाकर्ता (श्रीमती पूजा शर्मा) को अपनी बेटी से मिलने का अधिकार दिया गया है, जो वर्तमान में विरोधी पक्षकर संख्या 1 के साथ रह रही है। याचिकाकर्ता की अपनी बेटी (सह-शरीर) के साथ बैठक पक्षकारों की सहमति के अनुसार उस स्थान पर होगी और किसी भी स्थान पर सहमत होने में उनकी असमर्थता के मामले में ऐसी बैठक सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के कार्यालय में कार्यालय के समय के दौरान, अर्थात सुबह 10:00 बजे से शाम 4 बजे के बीच, दो घंटे के लिए, पक्षकारों द्वारा सहमत या सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा निर्देशित दिन और समय पर, महीने में एक बार, किसी भी दिन, अधिमानतः शनिवार, को आयोजित की जाएगी।
>
> (II) बैठक के घंटों के दौरान, याचिकाकर्ता अपनी पसंद और बेटी की पसंद के किसी भी प्रकार के उपहार देने के लिए स्वतंत्र होगी और विरोधी पक्षकार संख्या 1 द्वारा इस पर आपत्ति नहीं की जाएगी। हालाँकि, याचिकाकर्ता सचिव कार्यालय, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की सीमाओं से परे कहीं भी अपने साथ सह-शरीर को नहीं ले जाएगी। इस तरह की बैठक एक सुरक्षित वातावरण में आयोजित की जाएगी और यह सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, लखनऊ का कर्तव्य होगा कि वह पक्षकारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण और सुरक्षा प्रदान करे।"

3. जिस तरह से वर्तमान मामले में भेंट करने के अधिकार दिए गए हैं, हम उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि माँ महीने में एक बार बच्चे से दो घंटे के लिए मिल सकती है, वह भी सचिव कार्यालय, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, लखनऊ में या किसी ऐसे स्थान पर, जहां पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति हो और असहमति के मामले में, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के समक्ष। हालांकि, यह आदेश दिया गया है कि बैठक एक सुरक्षित वातावरण में आयोजित की जाएगी और पक्षकारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण और सुरक्षा प्रदान करना सचिव का कर्तव्य होगा।

4. *यशिता साहू बनाम राजस्थान राज्य* 2020 ए.आई.आर. 577 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बच्चों के अभिरक्षा से संबंधित मामलों में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है। इस संदर्भ में, हम निर्णय के पैराग्राफ 22 का उल्लेख कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैः

> "एक बच्चे को, विशेष रूप से कोमल उम्र के बच्चे को माता-पिता दोनों के प्यार, स्नेह, संगति, सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह न केवल बच्चे की आवश्यकता है बल्कि उसका मूल मानव अधिकार भी है। सिर्फ इसलिए कि माता-पिता एक-दूसरे के साथ युद्ध में हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे को दोनों माता-पिता में से किसी एक की देखभाल, स्नेह, प्रेम या सुरक्षा से वंचित किया जाना चाहिए। एक बच्चा एक निर्जीव वस्तु नहीं है जिसे एक माता-पिता से दूसरे में फेंका जा सकता है। प्रत्येक अलगाव, प्रत्येक पुनर्मिलन का बच्चे पर एक दर्दनाक और मनोदैहिक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अदालत यह तय करने से पहले प्रत्येक परिस्थिति को बहुत सावधानी से देखे कि बच्चे की अभिरक्षा को माता-पिता दोनों के बीच कैसे और किस मामले में साझा किया जाना चाहिए। यहां तक कि अगर एक माता-पिता को अभिरक्षा दी जाती है, तो दूसरे माता-पिता को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अधिकार होने चाहिए कि बच्चा दूसरे माता-पिता के संपर्क में रहे और दोनों माता-पिता में से किसी एक के साथ सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संपर्क न खोए। यह केवल चरम परिस्थितियों में है कि एक माता-पिता को बच्चे के संपर्क से वंचित किया जाना चाहिए। यदि माता-पिता में से किसी एक को बच्चे से भेंट करने के अधिकार या संपर्क से वंचित किया जाना है तो कारणों को निर्धारित किया जाना चाहिए। अभिरक्षा के मामलों से निपटने वाले न्यायालयों को अभिरक्षा के मुद्दों पर निर्णय लेते समय भेंट करने के अधिकारों की प्रकृति, तरीके और विशिष्टताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।"

5. जब कोई न्यायालय भेंट करने का अधिकार देती है, तो ये अधिकार इस तरह से दिए जाने चाहिए कि जिस बच्चे और माता-पिता को भेंट करने का अधिकार दिया गया है, वे ऐसे

वातावरण में मिल सकें जहां वे माता-पिता और बच्चे की तरह हो सकते हैं और यह वातावरण निश्चित रूप से जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में नहीं पाया जा सकता है। वह वातावरण माता-पिता के घर में या किसी पार्क या रेस्तरां या किसी अन्य स्थान पर पाया जा सकता है जहाँ बच्चा और माता-पिता सहज हों।

6. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, स्वीकार किए गए तथ्य यह हैं कि बच्चा लखनऊ, यू. पी. में अपने दादा-दादी के साथ रहता है और पिता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में काम करते हैं। बच्चा स्कूल जाता है और लोअर के.जी. में है। इसलिए हम भेंट करने और संपर्क अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैंः

(I) माँ को पहली बार में आठ सप्ताह की अवधि के लिए शनिवार और रविवार दोनों दिन पर बच्चे से मिलने का अधिकार होगा। वह बच्चे को सुबह 10 बजे दादा-दादी के घर से ले जाएगी और उसे शाम 5 बजे वापस छोड़ेगी। यदि शनिवार को स्कूल का कार्य दिवस है, तो माँ को बच्चे को स्कूल से लेने और शाम 8 बजे तक अपने साथ रुकने का अधिकार होगा और फिर उसे दादा-दादी के घर छोड़ेगी।

(II) आठ सप्ताह की अवधि समाप्त होने के बाद और बच्चा अपनी माँ से परिचित हो जाता है और उसे बेहतर तरीके से जानने लगता है, माँ सप्ताहांत पर बच्चे को शनिवार सुबह 10 बजे से रविवार शाम 5 बजे तक रखने की हकदार होगी। यदि शनिवार को स्कूल का कार्य दिवस है, तो माँ स्कूल के तुरंत बाद बच्चे को उठाएगी और उसे रविवार को शाम 5 बजे दादा-दादी के घर वापस छोड़ेगी।

(III) होली, दिवाली आदि त्योहारों पर बच्चा सुबह दादा-दादी के साथ समय बिता सकता है, लेकिन शाम को उसे हर त्योहार पर कम से कम चार घंटे के लिए मां के साथ जाने की अनुमति होगी।

(IV) जहाँ तक गर्मियों की छुट्टियों का संबंध है, यदि छुट्टियां पंद्रह दिनों से अधिक की हैं, तो माँ को सात दिनों के लिए बच्चे को लेने का अधिकार होगा, लेकिन 30 अप्रैल के बाद ही। यदि छुट्टियाँ एक महीने से अधिक समय के लिए हैं, तो वह बच्चे को पंद्रह दिनों तक रखने की हकदार होगी। छुट्टियों के दौरान, माँ बच्चे को छुट्टियों के लिए किसी भी स्थान पर ले जा सकती है जहाँ वह सहज महसूस करे।

(V) बच्चे के जन्मदिन पर, हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि दोनों माता-पिता अपने मतभेदों को अलग रखते हुए बच्चे के साथ कुछ समय बिताएँ, लेकिन यदि वे ऐसा

नहीं कर सकते हैं, तो माँ दिन के पहले भाग में कम से कम आठ घंटे बच्चे की अभिरक्षा पा सकती है और दूसरे भाग में दादा-दादी।

(VI) हम माँ को सभी स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देते हैं, जैसे कि वार्षिक दिवस, स्थापना दिवस, खेल दिवस या माता-पिता शिक्षक बैठक। हम संबंधित विद्यालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि इस न्यायालय के आदेश को प्रस्तुत करने पर, अपीलार्थी का नाम विद्यालय के अभिलेखों में बच्चे की माँ के रूप में दर्ज किया जाए और जब अन्य माता-पिता को बुलाया जाए तो उसे सभी कार्यक्रमों के लिए बुलाया जाए। उन्हें स्कूल में बच्चे की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

(VII) जहाँ तक संपर्क अधिकारों का संबंध है, चूँकि माँ और बच्चा एक ही शहर में रहते हैं, इसलिए माँ हर दिन शाम को 7:30 बजे से 8:30 के बीच दस मिनट के लिए बच्चे के साथ वीडियो कॉल या टेलीफोन कॉल पर बात कर सकती है।

7. हम उपरोक्त निर्देशों के साथ इस अपील का निपटारा करते हैं।

8. हम यह स्पष्ट करते हैं कि अपीलार्थी-पत्नी अभिभावक और वार्ड अधिनियम 1890 के तहत बच्चे की अभिरक्षा के लिए उपयुक्त न्यायालय का रुख करने के लिए स्वतंत्र है। हम आगे निर्देश देते हैं कि आज हमने जो आदेश पारित किया है, उसके अनुरूप, यदि आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो संबंधित न्यायालय अभिरक्षा याचिका के निपटारे तक मां के मिलने के अधिकारों की अवधि को बढ़ा सकती है।

देविका गुजराल

अपील का निपटारा किया गया।

<u>अस्वीकरण :</u>

क्षेत्रीय भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

लाल सिंह, पूर्व ए.डी.जे.